न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 9/2024

उनवान

सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :– 22.7.24

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के
हाल खसरा नम्बर 2009 रकबा 0.23 प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रवेश हेतु
ग्राम झडवासा के खसरा नम्बर 2007 में से आवागमन किया जाता है। खसरा नम्बर 2005
मौके पर रासता है में से होकर 2007 में प्रवेश कर प्रार्थी की आराजी में प्रवेश किया जाता
है। उक्त मार्ग की प्रार्थी को आत्यतिंक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 2007 सिवायचक है।
इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त
खसरा नम्बर 207 में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की
गयी।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर
मनन किया गया। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 2009 रकबा 0.23 प्रार्थी की एकल
खातेदारी की है। खसरा नम्बर 2007 रकबा 1.70 सिचायचक खातें में दर्ज है। प्रार्थी का
कथन है कि पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। तहसीलदार
नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2007 में
से 8 मीटर लम्बा व 10 मीटर चौडा माग्र की आवश्यकता होगी। खसरा नम्बर 2007
झडवासा–न्यारा मार्ग खसरा नम्बर 2005 से लगता हुआ है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही
है। चाहा गया मार्ग लघुतम है। प्रार्थी को रास्तें की आत्यतिंक आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र
के तथ्यों का कोई खण्डन पत्रावली [illegible] है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत त[illegible]न हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध
कराने की है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी [illegible] है।

अतः ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 2007 [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
''**स्वीकार**'' किया जाता है। उक्त आराजी में से 9 मी. चौडा व 8 मी. लम्बा कुल [illegible]
मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसील[illegible] नसीराबाद उक्त आराज[illegible]

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:28 IST
Reason: SelfAttested

डी0एल0सी0 दर से दो गुणा राशि 2980/ अक्षरे दो हजार नो सौ अस्सी रूपये मात्र राजकोष में जमा होने के बाद उक्त रकबा सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज कने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:28 IST
Reason: SelfAttested